

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-I- 34 / पटना, दिनांक-20/1/2020

परिपत्र

विषय: राज्य के नदियों/धारों/नहरों आदि पर सेतु/संरचना निर्माण एवं जल संसाधन विभाग के स्वामित्व क्षेत्र में अन्यान्य कार्य कराने के पूर्व जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने संबंधित निर्गत परिपत्र PMC-5/विविध/9-28/2004 -पार्ट-I-321/ पटना, दिनांक-28-05-2018 में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।

भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभाग द्वारा राज्य के नदियों/धारों/नहरों आदि पर संरचनाओं अथवा पुल पुलिया आदि के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने हेतु प्रक्रिया परिपत्र PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-I-321/पटना, दिनांक 28.05.2018 के द्वारा परिचारित है। इसमें समीक्षोपरांत प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं :-

उक्त परिपत्र की कंडिका- (ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत **Case-3:: अन्यान्य** को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

Case-3:: अन्यान्य

(i) ऐसे मामले, जिसमें जलीय ऑकड़ों की समीक्षा की आवश्यकता नहीं हो परंतु विभागीय जमीन हस्तान्तरण का मामला निहित हो, में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में अनापत्ति हेतु आवेदन अन्य विभागों/संगठनों के कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा जल संसाधन विभाग के परिक्षेत्राधीन संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया जाएगा। विभागीय कार्यपालक अभियन्ता अपने अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से प्रस्ताव को अपने मंतव्य के साथ संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव को अपनी अनुशंसा एवं सुस्पष्ट प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग को समर्पित करेंगे तथा संबंधित मोनिटरिंग संगठन समीक्षोपरांत प्रस्ताव विभागीय आस्तियों से संबंधित प्रभारी संयुक्त सचिव/अपर सचिव को उपलब्ध करायेंगे। प्रभारी संयुक्त सचिव/अपर सचिव विधिवत प्रक्रिया अपना कर जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।

(ii) ऐसे मामले, जिसमें जलीय ऑकड़ों की समीक्षा की आवश्यकता नहीं हो एवं जमीन हस्तान्तरण का मामला निहित नहीं हो परंतु विभागीय जमीन के मात्र उपयोग का मामला हो, में अन्य विभागों/संगठनों के द्वारा आवेदन अपने कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पदाधिकारी के माध्यम से जल संसाधन विभाग के परिक्षेत्राधीन संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिये जाने की आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव पर संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्ताव को अपनी अनुशंसा एवं सुस्पष्ट प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग को समर्पित करेंगे तथा संबंधित मोनिटरिंग संगठन के द्वारा विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु कार्रवाई की जायगी। विभागीय अनुमोदन के उपरांत अभियन्ता प्रमुख (मुख्यालय) के हस्ताक्षर से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायगा एवं इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों (कार्यपालक अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता स्तर तक) को अवश्य दी जायगी।

(iii) नदियों/धारों/नहरों के नीचे से किसी भी प्रकार का पाईप लाईन बिछाने से संबंधित मामले का निष्पादन पूर्व के निर्गत परिपत्र PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-I-321/पटना, दिनांक 28-05-2018 में वर्णित Case-1 एवं Case-2 के आलोक में किया जायगा।

(2) पूर्व के निर्गत परिपत्र PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-I-321/पटना, दिनांक-28-05-2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय एवं शेष अंश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

(3) प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।


20/01/2020
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक:-PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-1 34 / पटना, दिनांक:- 20/1/2020

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना /सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य मंत्री सचिवालय/महाप्रबंधक, पूर्व-मध्य रेलवे जोन, हाजीपुर/प्रबंध निदेशक, पुल निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


20/01/2020
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

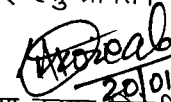
ज्ञापांक:-PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-1 34 / पटना, दिनांक:- 20/1/2020

प्रतिलिपि सभी कार्य विभाग के माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी कार्य विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी अभियंता प्रमुख/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं0-1/2/3 एवं बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। सभी कार्य विभागों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


20/01/2020
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

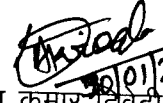
ज्ञापांक:-PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-1 34 / पटना, दिनांक:- 20/1/2020

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, योजना एवं मोनेटरिंग अंचल सं0-01, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/01/2020
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक:-PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-1 34 / पटना, दिनांक:- 20/1/2020

प्रतिलिपि जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/01/2020
(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)